न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16 / 2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय एफबीओ मैसर्सः—भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(V)एवं दंडनीय धारा 58
(एफएसएस रूल्स 2006 व 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

दिनांकः— 15.07.2024

—: आदेश :—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गूजर ने दिनांक 04.11.2023 को समय 11:21 AM पर मैसर्स भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय उपस्थित मिला, जिसको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्री राकेश कुमार शर्मा ने स्वयं को मैसर्स भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र बताया। विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में मैसर्स भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ लगभग 230—230 ग्राम के 11 पैकेट सुपारी मामा पॉली पैक **(Betul Nut Mama Brand Poly Pack)** दुकान की रैक में रखी हुई थी। जिसका निरीक्षण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉलीपैक वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की रैक में रखे हुये लगभग 11 पैकेट में से 8 पैकेट 230—230 ग्राम के सुपारी मामा पॉलीपैक ज्यों का त्यों क्रय कर नियमानुसार इलेक्ट्रानिक मशीन से तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने खरीदा। जिसकी कीमत श्री विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 8 पैकेट सुपारी मामा पॉलीपैक के 848/—रूपये (अक्षरे आठ सौ अडतालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय की गई सुपारी मामा पॉलीपैक 230—230 ग्राम को श्री राकेश कुमार शर्मा एवं गवाहान को दिखाकर 230—... 2—2 पैकिट को अलग—अलग चार प्लास्टिक के साफ व सूखे डिब्बों में बराबर—ब... भ... प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर टाइट बन्द किया तथा ... चारो नमूना ... नमूना लेने की दिनांक व स्थान व लिये भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG–3934 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर AG–3934 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ सैनी कर्मचारी कार्यालय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 06.11.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 06.11.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) के नमूने की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./4689/एक्ट/2023/4959 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(I) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./4689/एक्ट/2023/4959 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) के नमूने में Test for Mineral oil Poisitive पाया गया है, परन्तु खाद्य निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) में Mineral oil होने सम्बन्धी जानकारी लेबल पर अंकित नहीं किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सेक्शन 3(1)(ZF)(C)(I) के तहत उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर के खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 2[illegible] उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित [illegible] जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) में हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। यह कम्पनी द्वारा बनाया हुआ उत्पाद है। हमारे द्वारा निर्माता कम्पनी से पैक अवस्था में खरीदकर पैक अवस्था में ही ग्राहकों को विक्रय किया गया है। हम इस खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं है। हमे कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का बिल नहीं दिये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा केवल हमारी फर्म के विरूद्ध ही परिवाद पेश किया है। निर्माता कम्पनी के विरूद्ध भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्यवाही करनी चाहिये थी। भविष्य में हमारे द्वारा बिल से ही माल क्रय किया जाकर बिल से ही ग्राहकों को विक्रय किया जावेगा। मैं एक छोटा व्यापारी हुं जो छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन–यापन करता हुं। प्रथम बार हुई गलती के लिये मुझ पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./4689/एक्ट/2023/4959 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के सेक्शन 3(1)(ZF)(C)(I) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर के खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर के खाद्य पदार्थ सुपारी मामा पॉली पैक (Betul Nut Mama Brand Poly Pack) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय एफबीओ मैसर्सः–भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा पर 1,00,000/–पर (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.07.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः–15 .07.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

क्रमांक / FSSA/ 2024/1484–1486

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ की निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे निर्माता कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्माता कम्पनीयों को भी पक्षकार बनाया जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का श्रम करें।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय एफबीओ मैसर्सः–भावना किराणा स्टोर आदर्श कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कुण्डल जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा